



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

:: प्रारूप-2 ::
(नियम 3 (4) देखिये)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक ५/८/२३

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ९६ / 2023
प्रकरण क्रमांक / 197/बी-121/2023-24

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993(क्रमांक 1 सन 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के उपबंधों के अधीन कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अर्थात :-

श्री/श्रीमती/मेसर्स :- मेसर्स टी.बी. डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री पराग जैन,
पिता का नाम :- श्री सुशील कुमार जैन
पता :- बी-212, सेकण्ड फ्लोर, बंशी ट्रेड सेन्टर, एम. जी. रोड, इंदौर,

रजिस्ट्रीकरण के निर्बंधन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- 1- यह रजिस्ट्रीकरण इन्दौर जिला पंचायत क्षेत्र के लिये मान्य होगा ।
- 2- कालोनाईजर को प्रत्येक कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देना होगी ।
- 3- प्रत्येक कालोनी के लिये विकास अनुमति/विकास कार्यो को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी ।
- 4- मौके पर विकास एवं निर्माण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से डायवर्शन आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- 5- मौके पर निर्माण एवं विकास करने के पूर्व इस कार्यालय से विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- 6- इस रजिस्ट्रीकरण की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी ।
- 7- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा तथा अभिन्यास में अभिलिखित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा ।
- 8- विकास कार्य पूर्ण करने पर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा ।
- 9- आपके द्वारा किये जाने वाले प्रोजेक्ट में रेरा पंजीयन होने तक कोई भूखण्ड विक्रय नहीं किया जायेगा, प्रोजेक्ट के समस्त भूखण्ड/इकाईयों का विक्रय RERA में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही किया जायेगा, प्रोजेक्ट के सभी मानचित्र/ब्रोशर एवं विज्ञापन में टी0एन0सी0पी से प्राप्त ले-आउट स्वीकृति क्रमांक, विकास अनुमति का क्रमांक एवं रेरा का पंजीयन क्रमांक दिया जावेगा एवं कॉलोनी का कोई भी भूखण्ड अवैधानिक दस्तावेजों अथवा डायरी पर विक्रय नहीं किया जावेगा ।
- 10- रजिस्ट्रीकरण के बाद पते में कोई भी परिवर्तन रजिस्ट्रीकृत कॉलोनाईजर द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा ।
- 11- आवेदक संस्था के विरुद्ध कालोनी अथवा अधिनियम में उल्लेखित अपराधों से सम्बंधित शिकायत पाई जाने अथवा राजस्व शुल्क बकाया होने अथवा अपराध पंजीबद्ध होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेगा ।
- 12- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में यह लायसेंस स्वमेव निरस्त हो जावेगा ।

मुद्रा टिप्पणी :-कालोनी का विकास, उसका विकास कार्य, भूखंडों/भवनो का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा, यदि कालोनी विकसित करने की अनुमति नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है ।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

५/८/२३
आपका कलेक्टर
अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

salary cell

+ इंडियन रेडक्रास सोसायटी +

कक्ष क्रं. 113, प्रशासनिक संकुल कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर

रेडक्रास सोसायटी के कार्य के सहायतार्थ

क्रमांक 3014

दिनांक 04/08/23

श्रीमान् / श्रीमती TB Developers Partner Parag Jain

निवासी B-212, 2nd floor Base Trade Centre Indore मो. नं. 8908999999

आधार क्रमांक 990910472653 पेन कार्ड क्रं. AATFT4617P

के द्वारा नगद रुपये/ चेक क्रं./ RTGS क्रं./ NEFT क्रं. INDB NO4082790652

(अक्षरी) Two lakh only दान स्वरूप साभार प्राप्त हुए।

₹ 2,00,000/-

Pr
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

PAN NO. AAAA I5198J

F. No. CIT-1/IND/TECH/80G/2014-15 Dated 14-11-2014 द्वारा 01-04-2014 से
दान राशि पर आयकर अधिनियम 1961 को धारा 80 जी के तहत छूट प्राप्त है।